



2026:AHC:17192

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45897 सन् 2025

गजराज

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: संदीप कुमार तिवारी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: आजाद राय ,सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. आज प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-खण्ड अधिकारी, करछना, जिला प्रयागराज को उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अन्तर्गत दिनांक 30.03.2024 से लम्बित निष्पादन वाद संख्या 3854 / 2024, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202402030503854 (ब्रजलाल एवं अन्य बनाम ग्राम सभा एवं अन्य) को निर्धारित अवधि के भीतर निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए।
4. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका अंततः इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-खण्ड अधिकारी, करछना, जिला प्रयागराज याची द्वारा दायर उक्त वाद को शीघ्रता से, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो, निर्णीत करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।